UPGK010048132026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2078/2026

नीलम सिंह पुत्री स्व० राजबली सिंह, निवासी- राजीव नगर कालोनी रूस्तमपुर, थाना- रामगढ़ताल, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 247/2026
अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(2), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S.
थाना- चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 10.06.2026

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 247/2026, अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(2), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S., थाना- चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12/03/2026 को वादी के जीजा मुकेश मीणा, उनका भाई ब्रजमोहन मीणा व दलाल बन्टी गुर्जर तीनों लोग दुल्हन लेने बिहार गये थे व अपने साथ दो लाख पचास हजार रूपया लेकर गये थे। वहां जाकर ब्रजमोहन मीणा की शादी भी करवा दी, जिसका फोटो वादी के वाट्सएप पर भी डाल दिया गया। दिनांक 13.03.2026 को वादी के जीजा मुकेश मीणा के नंबर से फोन आया कि दुल्हन व दलाल पैसे लेकर भाग गये है तथा उसे व उसके भाई को बंधक बना लिये है। एक लाख रूपये मेरे नंबर पर डाल दो तो ये लोग उसे छोड़ देंगे। एक लाख रूपये की मांग वादी के जीजा के नंबर से कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी बेगुनाह है। प्रार्थिनी के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थिनी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। प्रार्थिनी को रंजिश के तहत उक्त मुकदमे में फंसाया गया है। प्रार्थिनी सब लोगों में केवल शैल देवी नामक महिला को जानती है। प्रार्थिनी का अन्य अभियुक्तों से कोई लेना देना या वास्ता या

सरोकार नहीं है। प्रार्थिनी के पास एक 6 माह का नवजात शिशु है एवं उसका भरण पोषण प्रार्थिनी स्वयं अकेले करती है। प्रार्थिनी एक संस्था के साथ जुड़कर कैटरिंग का काम करती है जो पार्टी में स्वागत वगैरह करने का काम है उसी से अपना और अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है। प्रार्थिनी के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। इसी दौरान एक कार्यक्रम में प्रार्थिनी मुलाकात शैल देवी से हुई थी। शैल देवी ने उसे बताया था कि वह इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है और उन्हें प्रोग्राम के लिए लड़कियों की जरूरत होती है। शैल देवी ने उसे जानकारी दिया कि तुमको एक एल्बम में कार्य करना है। शैल देवी के द्वारा बताया गया कि एल्बम के डायरेक्टर एवं अन्य क्रू स्टाफ आने वाले हैं उनका अभिनंदन प्रार्थिनी को करना है। शैल देवी ने मुझे यह बात भी कही कि यहां एक ऑडिशन भी होगा यदि प्रार्थिनी चुनी जाती है तो अच्छा पैसा व परमानेंट काम मिलेगा जिससे प्रार्थिनी व उसके नवजात शिशु का जीवन सरल व सुगम हो जाएगा। प्रार्थिनी ने शैल देवी की बातों में आकर काम की तलाश में शैल देवी के बुलाये स्थान पर चली गई। जब प्रार्थिनी वहां पहुंची तो शैल देवी पहले से मौजूद थी। प्रार्थिनी को शैल देवी ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि यही डायरेक्टर है एवं इनका पुष्प अर्पण करके अभिनंदन करो। शैल देवी के कहे मुताबिक प्रार्थिनी ने पुष्प अर्पण कर जलपान करवाया। जलपान करवाने के दौरान कुछ लोग प्रार्थिनी का फोटो एवं वीडियो भी लोगों द्वारा प्रार्थिनी का फोटो वीडियो भी बनाया गया जो प्रार्थिनी को नॉर्मल लगा। प्रार्थिनी के जलपान कराने के पश्चात कुछ पुलिस के लोग आए और गाली गुप्ता देते हुए हाथापाई पर आमादा हो गए। प्रार्थिनी कुछ समझ पाती प्रार्थिनी को भी गाली गुप्ता देते हुए एक कमरे में बंद कर दिया गया। प्रार्थिनी ने उसके बाद कुछ नहीं देखा केवल आवाज सुनी जो गाली देना और चिल्लाना था। प्रार्थिनी उपरोक्त घटना से काफी भयभीत व सहमकर कमरे के कोने में बैठ गई। प्रार्थिनी का पैसों के लेनदेन से कोई सरोकार नहीं है। जो भी मारपीट हुआ पैसों का लेनदेन है उसकी प्रार्थिनी को कोई जानकारी नहीं है एवं शैल देवी के द्वारा कहा गया कि यहां से भाग जाओ। प्रार्थिनी बहुत डर गई थी और अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए भयभीत अवस्था में वहां से चली गई। प्रार्थिनी को यह कुछ भी ज्ञात नहीं कि वहां क्या हुआ कितने पैसों का लेनदेन हुआ। प्रार्थिनी को अंधेरे (धोखे) में रखकर शैल देवी के द्वारा यह कार्य करवाया गया। प्रार्थिनी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और न ही कथित अपराध जैसी घटना में कभी संलिप्तता ही रही है। प्रार्थिनी दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है जिसके निरूद्ध रहने से मजदूर प्रार्थिनी के परिवार वाले भुखमरी के कगार पर आ सकते हैं। उपरोक्त के आधार पर आवेदिका/ अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र के अधीन वादी मुकदमा के जीजा एवं उनके भाई को सदोष परिरोध में रखकर उनके साथ लूट का प्रयत्न किया गया है। अतः आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आपराधिक षडयंत्र के अधीन वादी मुकदमा के जीजा व उनके भाई का सदोष परिरोध कर उनके साथ छल द्वारा प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करते हुए लूट का प्रयत्न करने का अभियोग है। केस डायरी में अंकित पीडित साक्षी मुकेश मीणा के बयान के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा उसके भाई से शादी की गयी। जिसके बाद सहअभियुक्तगण द्वारा स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा उन पर लड़की खरीदने का आरोप लगाकर मारा पीटा गया तथा एक कमरे में ले जाकर बंधक बना दिया गया और उनसे ढाई लाख रूपये भी छीन लिये गये। मामले की विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से अभियुक्ता की मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शित होती है। मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता नीलम सिंह द्वारा मु०अ०सं०- 247/2026, अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(2), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S., थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-10.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.10 16:55:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court